बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/विविध स्पष्टीकरण (गया) 07–113/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री पुरूषोत्तम कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी; वजीरगंज, गया द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (**कुल–89**) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–79(15), दिनांक–15.01.2024, पत्रांक–599(15) दिनांक–05.04.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय पत्रांक–23 मु0 दिनांक–09.04.2024 से विभाग में समर्पित किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप विभाग स्तर पर आरोप पत्र का गठन कर विभागीय पत्रांक–1275(15) दिनांक–26.07.2024, पत्रांक–2354(15) दिनांक–28.11.2024, पत्रांक–264(15) दिनांक–27.02.2025 एवं पत्रांक–968(15) दिनांक–13.06.2025 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा कार्यालय पत्रांक–2006 दिनांक–10.05.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर वाद के स्वीकृत्त किए जाने के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के प्रतिवेदन/अनुशंसा को आधार बनाते हुए अपने बचाव में तर्क गढ़ने का प्रयास किया गया है, जबकि आरोपी पदाधिकारी को सारे अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों/तथ्यों की छान–बीन एवं जाँच पड़ताल करते हुए प्रश्नगत दाखिल–खारिज वाद की स्वीकृति/अस्वीकृति दी जानी चाहिए थी, न कि मात्र राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर। साथ ही एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील हेतु निदेशित किया जाना चाहिए था, न कि दाखिल–खारिज वाद को स्वीकृत किया जाना चाहिए था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य से विमुख होने का प्रयास किया गया है, साथ ही दाखिल–खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपने अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण का अभिप्राय यह है कि उनका अपने अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो उनके कमजोर नेतृत्व क्षमता/कार्यालय प्रबंधन का द्योतक है।

आरोपी पदाधिकारी का यह तर्क कतई स्वीकार योग्य नहीं है कि एक ही भूमि का दाखिल–खारिज हेतु दो बार आवेदन प्राप्त होने पर एक आवेदन को निश्चित तौर पर निष्पादित वाद का हवाला देकर अस्वीकृत किया जाना था क्योंकि एक ही भूमि का दो बार दाखिल–खारिज हेतु

आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व के आवेदन को स्वीकृत किया जाना चाहिए था और बाद के आवेदन को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था जबकि स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाद के आवेदन को स्वीकृत किया गया है और पूर्व के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्वग्रह से ग्रसित होकर अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह चूक की गई है एवं दाखिल–खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. श्री पुरूषोत्तम कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, वजीरगंज, गया का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को "संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक एवं "निन्दन" का शास्ति" अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री पुरूषोत्तम कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, वजीरगंज, गया सम्प्रति अंचल अधिकारी, भभुआ, कैमूर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (i) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2023)** एवं नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक"** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:–**15/विविध स्पष्टीकरण (गया) 07–113/2023**–490 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–07/04/2026

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गया एवं कैमूर/कोषागार पदाधिकारी, गया एवं कैमूर/ श्री पुरूषोत्तम कुमार, अंचल अधिकारी, भभुआ, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।